

प्रेम,

श्री अमीर गाँवरी,
तैयार नगर,
उत्तर प्रदेश भारत ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
मिना फ्लैट 2 सम्राट रोड,
प्रांति विहार नई दिल्ली ।

विषय 17: अनुदान

संख्या: दिनांक : 80 अगस्त, 1997

विषय:- छावनी विद्येन एकाडेमी काशीपुर जिला को सी०बी०एस०की नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

संदर्भ,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहे का निदेश हुआ है कि छावनी विद्येन एकाडेमी काशीपुर जिला को सी०बी०एस०की नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार की निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत आपत्ति नहीं है :-

- 111 विद्येन की पंजीकृत सीतावली का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्येन की प्रमुख समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्येन में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्येन में विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्येन माध्यमिक शिक्षा परिषद से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/सी०बी०एस० की सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से सम्बन्धता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 151 संस्था के शिक्षक एवं शिक्षित कर्मचारियों का राष्ट्रीय सेवायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमति देना नहीं तथा अन्य भूतों से कम वेतनमान तथा अन्य भर्तियों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा नहीं करायेगी और उन्हें सेवायता प्राप्त अनापत्ति उच्चतर माध्यमिक विद्येन की कर्मचारियों की अनुमति सेवा नियुक्ति का नाम उपलब्ध कराये जायेगा ।

17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रणाली/प्रणालियों में रखा जायेगा।

19। उक्त कक्षा में राज्य सरकार के प्रकाशित के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा वह सुनिश्चित किया जाय कि -

11। विद्यालय का भूमि/भवन संस्था के निजी स्वामित्व सी०डी०स्त०की ही अपेक्षानुसार है तथा अधिभार भी निजी स्वामित्व में उपलब्ध है।

12। शिक्षक तथा कर्मचारियों को वेतन न्यूनतम मजदूरी मानक के अनुसार दिया जा रहा है।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है उक्त पालन करने में किसी प्रकार की वृद्ध या शिथिलता प्रतीत जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनामत प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

राजीव गांधी
संयुक्त सचिव।

पुं० 329211/15-7-1997 तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुपार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मजदूरी संयुक्त शिक्षा निदेशक, पुनर्पुं मजदूर नैनीताल।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, नैनीताल।
- 4- निरीक्षक, राज्य भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ।
- 5- प्रबन्धक, राज्य विज्ञान सहायक काशीपुर नैनीताल।

आप से,

[Signature]
राजीव गांधी
संयुक्त सचिव।

16